

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State of from the **168-Begun** Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961.

I declare that-

Shri DR. SURESH DHAKAR

45 A BAPUNAGAR SAINTHI CHITTORGARH sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:- Chittorgarh

Date:- 3 December 2023



(Kailash Chand Gurjar)
RETURNING OFFICER
168-Begun (168)
Assembly Constituency
Chittorgarh (Raj.)
PIN 312023

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

168-बेंगू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ, कि-

श्री डॉ. सुरेश धाकड़

45 ए बापूनगर सेंथी चित्तौड़गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान - चित्तौड़गढ़

दिनांक - 3 दिसम्बर 2023



(कैलाश चन्द गुर्जर)

सिवर्निंग अधिकारी

बेंगू (168) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(एस.डी.एम.) बेंगू